विभागीय प्रोन्नति कमेटी की कार्यवाही

निबंधक, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, 3/23, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून

बैठक की तिथिः 3 अप्रैल 2012 समय अपरान्ह 3.30 बजे।

कार्यालय निबंधक, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश सं0 , दिनांक 2 अप्रैल 2012 के द्वारा, गठित विभागीय प्रोन्नति कमेटी की बैठक दिनांक 3 अप्रैल 2012 को अपरान्ह 3.30 बजे आरम्भ हुयी। बैठक में श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, निबंधक/नियुक्ति प्राधिकारी, श्री सोबन सिंह नगन्याल, उपनिदेशक, सहकारी समितियॉ पंचायतें प्रभाग, मुख्यांलय देहरादून एंव मौ0 गुलफाम अहमद, उपनिबंधक, उपस्थित हुये। कार्यालय अभिलेखों का प्रस्तुति करण श्री राम कुमार सिंह, मुख्य सहायक के द्वारा किया गया।

उत्तराखण्ड फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स अराजपत्रित सेवा नियमावली 2005 के नियम 4(ii) के अनुसार, तैयार की गयी पात्रता सूची, कमेटी के सम्मुख रखी गयी। सेवा नियमावली के नियम 4(ii) के अनुसार, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होने उस चयन वर्ष की पहली जुलाई को उस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति मुख्य सहायक के पद पर की जायेगी।

मुख्य सहायक के कुल स्वीकृत 3 पदों में पहला पद अनुसूचित जाति का तथा 2 पद सामान्य के है। अनुसूचित जाति के पद हेतु कोई पात्र कार्मिक उपलब्ध नही है अतः उक्त पद को रिक्त रखते हुए, अग्रेनित किया जाये। सामान्य श्रेणी का एक पद भरा हुआ है तथा 1 पद रिक्त है जिस पर पात्र प्रवर सहायकों में से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जानी है। इस संबंध में कमेटी को यह भी अवगत कराया गया है कि इस पद के समान वेतनमान रू 4500–7000 (संशोधन से पूर्व) के उ0प्र0 राज्य के कार्मिक श्री राजकुमार त्रिवेदी का आंवटन, भारत सरकार के द्वारा, उत्तराखण्ड राज्य को वर्ष 2005 किया गया है, किन्तु उनके द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा स्थगनादेश लिये जाने के कारण, अभी तक इस विभाग में अपनी योगदान आख्यां नही प्रस्तुत की गयी है।

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार, तैयार की गयी वरिष्ठता सूची के अनुसार, पात्र प्रवर सहायकों में से श्री कन्हई लाल वरिष्ठ है। श्री कन्हई लाल, प्रवर सहायक की विगत 10 वर्षो की उपलब्ध चरित्र प्रवृष्टियों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध प्रवृष्टियों के अनुसार श्री कन्हईलाल का चरित्र उत्तम है एंव उनकी सत्यानिष्ठा प्रमाणित की गयी है उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल प्रवृष्टि का अंकन नही पाया गया है। तृतीय श्रेणी की वरिष्ठता के संबंध में, कोई वाद, किसी न्यायालय में नही चल रहा है। कमेटी के द्वारा, अनुसूचित जाति का कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण पद अग्रेनित रखा गया है। पूर्व प्रोन्नति कमेटी के द्वारा, इस संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से इस संबंध में पत्र के द्वारा यह पूछ लिया जाये कि क्या श्री राजकुमार त्रिवेदी के द्वारा, उत्तराखण्ड राज्य में अपनी योगदान आख्यां दिये जाने की सम्भावना है? यदि है तो कब तक उनके द्वारा, उत्तराखण्ड राज्य में योगदान आख्यां प्रस्तुत किये जाने की सभ्भावना है। रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश से सूचना प्राप्त होने के उपरांत ही प्रोन्नति के बारे में, कमेटी के द्वारा, अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस बारे में रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एंव चिट्स, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा, यह अवगत कराया गया है कि श्री राजकुमार त्रिवेदी के द्वारा, वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में आने की सम्भावना नही है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का स्थगनादेश, वर्तमान में यथावत् है। ऐसी परिस्थति में यदि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का स्थगनादेश किसी कारण से खारिज होता है, तो फिर श्री राजकुमार त्रिवदी, उत्तराखण्ड राज्य के लिए कार्यमुक्त किये जा सकते है। अतः श्री कन्हईलाल, प्रवर सहायक की प्रोन्नति इस शर्त के साथ की जा सकती है कि यदि श्री राजकुमार त्रिवेदी के द्वारा, उत्तराखण्ड राज्य में अपनी योगदान आख्यां दी जाती है तो श्री कन्हई लाल को प्रवर सहायक के पद पर स्वतः ही प्रत्यावर्तित मान लिया जायेगा। इस आश्य का एक शपथ पत्र श्री कन्हई लाल, प्रवर सहायक से प्राप्त कर लिया जाय। श्री कन्हई लाल, प्रवर सहायक की पदोन्नति, अस्थायी रूप से मुख्य सहायक वेतन बैंड रू 5200–20200, ग्रेड पे रू 2800 के पद पर, किये जाने हेतु, कमेटी के द्वारा संस्तुति की जाती है।

(मौ0 गुलफाम अहमद)
सदस्य
3/4/12

(सोबन सिंह नगन्याल)
सदस्य
03.04.12

(रमेश चन्द्र अग्रवाल)
अध्यक्ष
3/4/12

अनुमोदित

3/4/12